पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में

दीवानी रिट क्षेत्राधिकार मामला संख्या 952/2025

==========

रमन कुमार उर्फ रमन कुमार सिंह पुत्र स्वर्गीय त्रिवेणी प्रसाद सिंह, ग्राम-बाबू बभानी, बभूनी, बभावानी भोलवा, थाना- सिंघेश्वर, जिला-मधेपुरा वर्तमान में निवासी- सुखनगर, वार्ड संख्या-17, मधुबनी, थाना- के. हाट, जिला-पूर्णिया

.....याचिकाकर्ता/ओं

बनाम

1. मुख्य सचिव, बिहार, पटना, बिहार राज्य के माध्यम से।
2. प्रधान सचिव, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना।
3. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, बिहार, पटना।
4. उप निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, बिहार, पटना।
5. कलेक्टर, पूर्णिया।
6. श्री शिव नाथ रजक, जिला शिक्षा अधिकारी, पूर्णिया।
7. जिला कार्यक्रम अधिकारी, पूर्णिया।
8. मो. शोएब आलम, प्रभारी प्राचार्य, जिला विद्यालय, पूर्णिया।
9. श्रीमती सीमा कुमारी, प्रभारी प्राचार्य, जिला विद्यालय, पूर्णिया।
10. दिवाकांत झा, प्रभारी प्राचार्य, जिला विद्यालय, पूर्णिया।
11. मो. अरसद आलम, प्रभारी प्राचार्य, जिला विद्यालय, पूर्णिया।
12. घनश्याम सिंह, क्लर्क, राजकीय जिला विद्यालय, पूर्णिया।
13. विशंभर तात्मा, माध्यमिक क्लर्क, जिला विद्यालय , पूर्णिया।

.....प्रतिवादी/ओं

==========

उपस्थिति:

याचिकाकर्ता/ओं के लिए : श्री प्रमोद कुमार मलिक, अधिवक्ता

प्रतिवादी/ओं के लिए : श्री राजीव शेखर, जीए-13 के सहायक अधिवक्ता

==========

सेवा कानून --- बिहार पेंशन नियम, 1950 --- नियम 43 (बी) --- विभागीय कार्यवाही --- चार्ज मेमो को चुनौती --- एक चार्ज मेमो को सीमित आधार पर चुनौती दी जा सकती है और चार्ज मेमो के खिलाफ न्यायिक समीक्षा सावधानी से की जानी चाहिए --- चार्ज मेमो के खिलाफ रिट याचिका पर विचार किया जा सकता है, अगर इसे किसी अक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया हो, जिसका कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है या दुर्भावना का आरोप लगाया गया हो या यदि यह लागू वैधानिक नियमों का उल्लंघन करता हो---- याचिकाकर्ता यह दर्शाने में सफल रहा है कि आरोप ज्ञापन उसे संप्रेषित नहीं किया गया था, जिससे पता चलता है कि नियुक्ति प्राधिकारियों ने एक वर्ष से अधिक समय बीत जाने के बाद भी संचालन अधिकारी और जांच अधिकारी की नियुक्ति के लिए जानबूझकर कोई कार्रवाई नहीं की है---प्रतिवादियों की ओर से की गई कार्रवाई अपरिपक्व कही जा सकती है---आरोप पत्र या कारण बताओ नोटिस किसी कार्रवाई का कारण नहीं बनता है, क्योंकि यह किसी प्रतिकूल आदेश के बराबर नहीं है, जो किसी भी पक्ष के अधिकार को प्रभावित करता हो---हालांकि, आरोप ज्ञापन आकस्मिक या नियमित तरीके से जारी नहीं किया जा सकता है और अनुशासनात्मक प्राधिकारी को इसे जारी करने से पहले अपने विवेक का प्रयोग करना आवश्यक है---अनुशासनात्मक प्राधिकारी, यदि ऐसा चाहे, तो कानून के अनुसार आगे बढ़ सकता है---रिट का निपटारा किया जाता है। ***(पैरा-6, 10, 11)***

*(1994) 3 एससीसी 357, 2018 (17) एससीसी 677, 2006 (12) एससीसी 28, 2012 (11) एससीसी 565, 1998 रिट एलआर 641, (2011) 5 एससीसी 142 .....**पर भरोसा किया गया।***

==========

पटना उच्च न्यायालय का निर्णय आदेश

==========

समक्षः माननीय न्यायमूर्ति श्री पुरनेन्दु सिंह
मौखिक निर्णय

दिनांक : 23-01-2025

याचिकाकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री प्रमोद कुमार मलिक और राज्य की ओर से जीए-13 के विद्वान एसी श्री राजीव शेखर को सुना।

2. याचिकाकर्ता ने वर्तमान रिट याचिका के पैराग्राफ नं.1 में *अन्य बातों के साथ-साथ* निम्नलिखित राहत की मांग की है, जिसे इसके बाद पुनः प्रस्तुत किया गया हैः

> *"(i) प्रतिवादी संख्या-03, निदेशक माध्यमिक शिक्षा, बिहार, पटना द्वारा पारित दिनांक 19.04.2023 के आदेश को रद्द करने के लिए, जिसके द्वारा प्रतिवादी संख्या-03, निदेशक माध्यमिक शिक्षा, बिहार, पटना ने प्रतिवादी संख्या-06, जिला शिक्षा अधिकारी, पूर्णिया को पत्र प्राप्त करने के एक सप्ताह के भीतर*

याचिकाकर्ता रमन कुमार सिंह के खिलाफ विभागीय कार्यवाही शुरू करने का निर्देश दिया था। (अनुलग्नक-पी/14)

(ii) इसके आलावा श्री शिव नाथ रज़क, प्रतिवादी संख्या-06, जिला शिक्षा अधिकारी, पूर्णिया द्वारा पारित दिनांक 10.05.2023 के आदेश को रद्द करने के लिए, जिसमें प्रतिवादी संख्या-06 जिला शिक्षा अधिकारी, पूर्णिया ने याचिकाकर्ता रमन कुमार सिंह के खिलाफ चार शीर्षों में आरोप पत्र दायर किया, जिसमें आरोप लगाया गया कि क) प्रभार नहीं सौंपा गया और विभाग के आदेश की अवज्ञा की गई। ख) याचिकाकर्ता को पत्र संख्या-328 दिनांक 02.02.2023 द्वारा दो दिनों के भीतर प्रभार सौंपने के लिए निर्देश दिया गया था, लेकिन इसकी अवज्ञा की गई| ग) वित्तीय अभिलेख को अपनी अधिकारिता में रखने के कारण कर्मचारियों और परीक्षा में उत्तीर्ण छात्रों के विभिन्न मदों के भुगतान में देरी हुई और इस तरह वे उनके व्यवहार और आचरण से पीड़ित हुए। घ) याचिकाकर्ता रमन कुमार सिंह का कार्य सेवा संहिता के नियम के खिलाफ है। (अनुलग्नक -15)

(iii) कोई अन्य राहत या राहत प्रदान करना जिसके लिए याचिकाकर्ता मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में हकदार है।

3. याचिकाकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ता 31.01.2023 को जिला स्कूल, पूर्णिया के प्रधान लिपिक के पद से सेवानिवृत्त हुए थे और सेवानिवृत्ति के लगभग तीन महीने बाद, निदेशक, माध्यमिक शिक्षा द्वारा 19.04.2023 को बिहार पेंशन नियम, 1950 के नियम 43 (बी) में निहित प्रावधान के अनुसार याचिकाकर्ता के खिलाफ विभागीय कार्यवाही शुरू करने के लिए निर्देश देते हुए एक निर्णय लिया गया था। तदनुसार, याचिकाकर्ता को दिनांक 10.05.2023 के आरोप-पत्र सहित 'प्रपत्र-क' याचिकाकर्ता को सूचित किया गया था।.ज्ञापन संख्या 1037 दिनांक 11.05.2023 में निहित ज्ञापन आरोप की सामग्री से पता चलता है कि इसकी एक प्रति जिला शिक्षा अधिकारी, पूर्णिया द्वारा केवल क्षेत्रीय शिक्षा निदेशक, पूर्णिया प्रामंडल और निदेशक माध्यमिक शिक्षा को भेजी गई थी। विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ता एक सेवानिवृत्त कक्षा-III कर्मचारी है और पत्र संख्या 65 दिनांकित 01.03.2023 के अनुसार, याचिकाकर्ता ने पहले ही स्कूल के कार्यालय में पासबुक और चेक बुक जमा कर दी थी, जिसके लिए उसे उसी दिन पावती भी दी गई थी।इन आधारों पर, विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि 'प्रपत्र-क' में निहित आरोप कदाचार का गठन नहीं करते

हैं जिसके लिए अधिकारियों को याचिकाकर्ता के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करने की आवश्यकता होती है। याचिकाकर्ता ने आगे कहा कि हालांकि आरोप पत्र 10.03.2023 पर जमा किया गया है लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई है। यह देरी कानून के खिलाफ है क्योंकि आज तक जांच अधिकारी और संचालन अधिकारी की नियुक्ति नहीं की गई है।

4. *इसके विपरीत,* राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया/कहा कि रिट याचिका पूर्व-परिपक्व है। याचिकाकर्ता के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू करने के लिए नियुक्ति प्राधिकरण के किसी भी निर्णय के अभाव में केवल आरोप ज्ञापन जारी करना याचिकाकर्ता के लिए कोई पूर्वाग्रह नहीं पैदा करता है। रिट याचिका विचारणीय नहीं है।

5. पक्षों की बात को सुना गया।

6. यह कानून का एक स्थापित सिद्धांत है कि एक आरोप ज्ञापन को सीमित आधारों पर चुनौती दी जा सकती है और आरोप ज्ञापन के खिलाफ न्यायिक समीक्षा का सावधानीपूर्वक प्रयोग किया जाना चाहिए। आरोप ज्ञापन के खिलाफ रिट याचिका पर विचार किया जा सकता है, यदि यह एक अक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया है, जिसका कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है या दुर्भावनापूर्ण आरोप लगाया गया है या यदि यह लागू वैधानिक नियमों का उल्लंघन है। इस संबंध में, ***भारत संघ और अन्य बनाम उपेंद्र सिंह (1994) 3 एस. सी. सी. 357*** में रिपोर्ट किया गया, के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के विचार/दृष्टिकोण को दोहराना लाभदायक होगा, जिसमें पैराग्राफ 6 में, सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया हैः

> *"6. अनुशासनात्मक जांच में बनाए गए आरोपों के मामले में न्यायाधिकरण या अदालत केवल तभी हस्तक्षेप कर सकती है जब लगाये गए आरोपों (आरोप या आरोपों के विवरण, यदि कोई हो) पर कोई कथित कदाचार या अन्य अनियमितता नहीं कही जा सकती है या लगाए गए आरोप किसी कानून के विपरीत हैं। इस स्तर पर, न्यायाधिकरण के पास आरोपों की शुद्धता या सच्चाई में जाने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है। न्यायाधिकरण अनुशासनात्मक प्राधिकारी के कार्यों को अपने हाथो में नहीं ले सकता है। आरोपों सत्यता या अन्यथा अनुशासनात्मक प्राधिकारी को जांचने का विषय है। वास्तव में, अनुशासनात्मक कार्यवाहियों के समापन के बाद भी, यदि मामला अदालत या न्यायाधिकरण में*

आता है, तो उनके पास आरोपों की सत्यता या अनुशासनात्मक प्राधिकरण या अपीलीय प्राधिकरण द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्षों की शुद्धता की जांच करने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है। न्यायालय/न्यायाधिकरण का कार्य न्यायिक समीक्षा का है, जिसके मापदंड इस न्यायालय द्वारा बार-बार निर्धारित किए जाते हैं। एच. बी. गांधी, आबकारी और कराधान अधिकारी-सह-मूल्यांकन प्राधिकरण, कमल बनाम गोपी नाथ एंड संस में दिए गए निर्णय को उद्धृत करना यहाँ पर्याप्त होगा। एम. एन. वेंकटचलैया, जे. (जैसा कि वे तब थे) और ए. एम. अहमदी ,जे. की पीठ ने इस सिद्धांत की पुष्टि इस प्रकार कीः (एस. सी. सी. पृष्ठ 317, पैरा 8) "न्यायिक समीक्षा, यह तुच्छ/घिसी-पिटी है,न्यायिक समीक्षा किसी निर्णय के खिलाफ निर्देशित नहीं है, बल्कि निर्णय लेने की प्रक्रिया तक ही सीमित है। न्यायिक समीक्षा का विस्तार तथ्य के रूप में किसी निर्णय की शुद्धता या तर्कसंगतता की जांच तक नहीं हो सकती है। न्यायिक समीक्षा का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि व्यक्ति के साथ उचित व्यवहार किया जाए और यह सुनिश्चित नहीं किया जाए कि प्राधिकरण उचित व्यवहार के बाद, किसी ऐसे मामले पर, जिसे तय करने के लिए वह कानून द्वारा अधिकृत है, एक ऐसे निष्कर्ष पर पहुंचे जो न्यायालय की नजर में सही हो। न्यायिक समीक्षा किसी निर्णय की अपील नहीं है, बल्कि निर्णय लेने के तरीके की समीक्षा है। यह सोचना गलत होगा कि न्यायालय न केवल निर्णय लेने की प्रक्रिया की शुद्धता पर बल्कि निर्णय की शुद्धता पर भी निर्णय के लिए बैठा है।

7. उक्त प्रस्ताव को शीर्ष न्यायालय द्वारा ***तमिलनाडु राज्य बनाम प्रमोद कुमार, आई. पी. एस. एवं अन्य*** के मामले में दोहराया, और जिसे ***2018 (17) एस. सी. सी. 677*** में रिपोर्ट किया गया था। यह भी उचित है कि शीर्ष न्यायालय द्वारा ***भारत संघ एवं अन्य बनाम कुनिसेट्टी सत्यनारायणा*** जो की ***2006 (12) एस. सी. सी. 28*** में रिपोर्ट किया गया था,में निर्धारित किये गए कानून से प्रासंगिक भाग को निकला जाये, जो निम्नानुसार पढ़िनये हैः

"13. इस न्यायालय के निर्णयों की एक श्रृंखला से यह अच्छी तरह से तय हो गया है कि सामान्यतः किसी आरोप पत्र या कारण बताओ नोटिस के खिलाफ आम तौर पर कोई रिट नहीं होती है। जैसे की कार्यकारी अभियंता, बिहार राज्य आवास बोर्ड बनाम रामदेश कुमार सिंह और अन्य जे. टी. 1995 (8) एस. सी. 331, विशेष निदेशक और अन्य बनाम मोहम्मद गुलाम गौस और अन्य, ए. आई. आर. 2004 एस. सी. 1467, उलगप्पा और अन्य बनाम संभागीय आयुक्त, मैसूर और अन्य

2001 (10) एस. सी. सी. 639, यू. पी. राज्य बनाम ब्रह्म दत्त शर्मा और अन्य। ए. आई. आर. 1987 एस. सी. 943 आदि।

14. सामान्य तौर पर एक रिट याचिका पर केवल कारण दर्शाओ नोटिस या आरोप पत्र के खिलाफ विचार नहीं किया जाना चाहिए, इसका कारण यह है कि उस स्तर पर रिट याचिका को समय से पहले माना जा सकता है। केवल आरोप-पत्र या कारण दर्शाओ नोटिस किसी भी कार्रवाई के कारण को जन्म नहीं देता है, क्योंकि यह एक प्रतिकूल आदेश के बराबर नहीं है जो किसी भी पक्ष के अधिकारों को प्रभावित करता है जब तक कि ऐसा करने के लिए कोई अधिकार क्षेत्र वाले व्यक्ति द्वारा जारी नहीं किया गया हो। यह बहुत संभव है कि कारण दर्शाओ नोटिस के जवाब पर विचार करते हुए या जांच करने के बाद संबंधित प्राधिकारी कार्यवाही को छोड़ सकता है और/या मान सकता है कि आरोप स्थापित नहीं हैं। यह अच्छी तरह से तय किया गया है कि एक रिट तब निहित होती है जब किसी भी पक्ष के किसी अधिकार का उल्लंघन किया जाता है। केवल कारण दर्शाओ नोटिस या आरोप पत्र किसी के भी अधिकार का उल्लंघन नहीं करता है। यह केवल तभी कहा जा सकता है जब कुछ सजा देने या किसी पक्ष को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करने वाला अंतिम आदेश पारित किया जाता है, तभी कहा जा सकता है की उक्त पक्ष को कोई शिकायत है।"

(जोर दिया गया)

8. ***रक्षा मंत्रालय बनाम प्रभाष चंद्र मिर्धा*** के मामले में जो की ***2012 (11) एस. सी. सी. 565*** में रिपोर्ट किया गया है, माननीय उच्चतम न्यायालय ने आगे कहा कि यदि किसी आरोप-पत्र को अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू करने में देरी या देरी के आधार पर आरोप की गंभीरता को देखते हुए कार्यवाही को समाप्त करने में देरी के आधार पर चुनौती दी जाती है और आरोप-पत्र को रद्द कर दिया जाता है। उपरोक्त निर्णय का पैराग्राफ नं. 8 इसके बाद पुनः प्रस्तुत करने के लिए प्रासंगिक होगाः

"8. कानून नियमित तरीके से आरोप पत्र को रद्द करने की अनुमति नहीं देता है। यदि दोषी कर्मचारी को आरोप पत्र के संबंध में कोई शिकायत है तो उसे एक अभ्यावेदन दायर करके इस मुद्दे को उठाना चाहिए और उस पर अनुशासनात्मक प्राधिकारी के निर्णय की प्रतीक्षा करनी चाहिए। यदि अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू करने में देरी या कार्यवाही समाप्त करने में देरी के आधार पर अदालत/न्यायाधिकरण के समक्ष आरोप पत्र को चुनौती दी जाती है, तो

अदालत/न्यायाधिकरण आरोप की गंभीरता और मामले में शामिल सभी प्रासंगिक कारकों पर विचार करने के बाद आरोप पत्र को रद्द कर सकता है, जिसमें दोषी कर्मचारी के पक्ष और विपक्ष दोनों के सभी तथ्यों को तौलते हुए विचार किया जाता है और उसे उस निष्कर्ष पर पहुंचना चाहिए जो परिस्थिति में न्यायसंगत और उचित हो।

9. आरोप ज्ञापन को केवल इस आधार पर चुनौती दी गई है कि यह सीसीए नियमो के तहत निर्धारित नियमों के खिलाफ है जो की सर्वोच्च न्यायालय द्वारा विचार किया गया था। और यह ***टी. राममूर्ति बनाम सचिव, श्री रामकृष्ण विद्यालय उच्च विद्यालय, आदि और अन्य*** मामले में आयोजित किया गया था जो की ***1998 रिट एल. आर. 641*** में रिपोर्ट किया गया है, कि जब कोई कानून किसी काम को निर्धारित तरीके से करने पर विचार करता है, तो उसे उसी तरीके से किया जाना चाहिए जैसा कि कानून के तहत प्रदान किया गया है। उपरोक्त निर्णय के पैराग्राफ 6 में यह निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया गया हैः

"6. यदि विधानमंडल द्वारा अधिनियमित वैधानिक प्रावधान किसी विद्यालय के शिक्षण या गैर-शिक्षण कर्मचारियों को बर्खास्त करने की या उनकी सेवा को समाप्त करने के लिए एक विशेष तरीका निर्धारित करता है, तो यह न केवल उसी तरीके से किया जा सकता है और किया जाना चाहिए, बल्कि इसे अन्य किसी भी तरह से नहीं किया जा सकता है। यह सिद्धांत कि जहां किसी विशेष कार्य को एक निश्चित तरीके से करने की शक्ति दी जाती है, चीजें उस तरह से की जानी चाहिए और अन्यथा नहीं और यह कि प्रदर्शन का दूसरा तरीका आवश्यक रूप से वर्जित है, न केवल अच्छी तरह से तय किया गया है, बल्कि इस मामले में भी पूरी तरह से लागू होता है, अधिनियम की धारा 22 के तहत प्रबंधन द्वारा शक्ति के दायरे और इसके प्रयोग की व्याख्या करने में भी अर्थ लगाया जा सकता है।

10. वर्तमान मामले में, याचिकाकर्ता यह दिखाने में सक्षम रहा है कि आरोप पत्र जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा ज्ञापन संख्या 1037 दिनांक 11.05.2023 के माध्यम से उसे सूचित नहीं किया गया था, लेकिन याचिकाकर्ता को यह सूचित नहीं किया गया है यह दर्शाता है कि नियुक्ति अधिकारियों ने एक वर्ष से अधिक समय बीतने के बाद भी आचरण अधिकारी और पूछताछ अधिकारी की नियुक्ति के लिए जानबूझकर कोई कार्रवाई नहीं की है। जिला शिक्षा अधिकारी की ओर से की गई इस कार्रवाई को अपरिपक्व कहा जा सकता

है। याचिकाकर्ता 'अनुलग्नक-3' के माध्यम से उन दस्तावेजो को रिकॉर्ड पर लाने में सक्षम रहा है, जिन दस्तावेजों को स्कूल में वापस करने की आवश्यकता थी, जिसे याचिकाकर्ता ने पहले ही वापस कर दिया था। उपरोक्त पृष्ठभूमि में, क्या वर्तमान रिट याचिका किसी भी हस्तक्षेप की मांग करती है।

11. इस प्रकार, आरोप पत्र रखने या कारण बताएँ नोटिस के संबंध में कानून अच्छी तरह से तय किया गया है कि यह कार्रवाई के किसी भी कारण को जन्म नहीं देता है क्योंकि यह एक प्रतिकूल आदेश के बराबर नहीं है, जो किसी भी पक्ष के अधिकार को प्रभावित करता है, हालांकि, समयानुसार, ***चेयरमैन-कम-एम.डी., कोल इंडिया लिमिटेड और अन्य बनाम अनंत साहा और अन्य*** जो की ***(2011) 5 एस. सी. सी. 142*** में रिपोर्ट की गई है के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि आरोप ज्ञापन आकस्मिक या नियमित तरीके से जारी नहीं किया जा सकता है और अनुशासनात्मक प्राधिकारी को इसे जारी करने से पहले अपना दिमाग लगाने की आवश्यकता है।

12. अनुशासनात्मक प्राधिकरण, यदि चाहे, तो कानून के अनुसार आगे बढ़ सकता है।

13. तदनुसार, वर्तमान रिट याचिका को निष्पादित किया जाता है।

(पूर्णेन्दु सिंह, न्यायमूर्त्ति)

नीरज/-

खंडन (डिस्क्लेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नही किया जा सकता। समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।